अक्टूबर 28, 2024

निर्देश

विषय : दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के तहत हेडर और सूचना सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत निर्देश।

एफ.सं.डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) - जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित), को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए कतिपय कार्यों जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, का निर्वहन सौंपा गया है;

2. और जबकि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उप-खंड (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण द्वारा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) को विनियमित करने हेतु दिनांक 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6), (इसके पश्चात "विनियम" के रूप में संदर्भित) बनाया;

3. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 और विनियमों के प्रावधानों के तहत

उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश देते हुए विनियमों के तहत हेडर और सूचना सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2024 को निर्देश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) जारी किया, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डीएलटी प्लेटफॉर्म पर 140xxx नंबरिंग श्रृंखला का एंड-टू-एंड कार्यान्वयन, जिसमें विनियमों के अनुसार मौजूदा टेलीमार्केटर्स का प्रवास और कॉलों की स्क्रबिंग शामिल है, वे दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाए; यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबर युक्त ट्रैफ़िक, जो श्वेतसूची में नहीं हैं, की अनुमति 01 सितंबर, 2024 (बाद में निर्देश संख्या डी-27/आई(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) दिनांक 30 अगस्त 2024 के अनुसार 01 अक्टूबर 2024 तक संशोधित) से नहीं है; प्रमुख संस्थाओं से प्राप्तकर्ता को संदेश पता लगाने योग्य हैं और 01 नवंबर 2024 से, सभी संदेश, जिनमें टेलीमार्केटर्स की श्रृंखला परिभाषित नहीं है या मेल नहीं खाती है, अस्वीकार कर दिए जाएंगे;

4. और जबकि एक्सेस प्रदाताओं ने सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 20 अगस्त 2024 के निर्देश और दिनांक 30 अगस्त 2024 के निर्देश के अनुसार डीएलटी प्लेटफॉर्म पर 140xxx नंबरिंग श्रृंखला के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन और संदेशों में यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक की श्वेतसूची लागू कर दी है;-

5. और चूंकि प्राधिकरण ने दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को एक्सेस प्रदाताओं के साथ प्रिंसिपल एंटिटी (पीई) से प्राप्तकर्ता तक संदेशों की ट्रेसबिलिटी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु एक्सेस प्रदाताओं के साथ दिनांक 09 अक्टूबर 2024 को एक बैठक आयोजित की थी, और बैठक के दौरान एक्सेस प्रदाताओं ने प्रस्तुत किया कि--

(क) वे दिनांक 01 नवंबर 2024 से पहले डीएलटी प्लेटफॉर्म पर समाधान के तकनीकी कार्यान्वयन को पूरा करेंगे;

(ख) प्रिंसिपल एंटिटीज-टेलीमार्केटर (पीई-टीएम) श्रृंखला को पंजीकृत करने के लिए प्रिंसिपल एंटिटीज के लिए पोर्टल भी सभी संबंधित एक्सेस प्रदाताओं द्वारा दिनांक 01 नवंबर 2024 से पूर्व चालू कर दिया जाएगा;

(ग) सभी टेलीमार्केटर्स और प्रिंसिपल एंटिटीज को सूचना का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने, प्रिंसिपल एंटिटीज और टेलीमार्केटर्स दोनों के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन और सभी प्रिंसिपल एंटिटीज और संबद्ध टेलीमार्केटर्स द्वारा श्रृंखला की घोषणा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा;

6. और जबकि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के पत्र संख्या डीजी/सीओएआई/2024/409 के माध्यम से, प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ, संदेशों की प्रेषक इकाइयों से प्राप्तकर्ताओं तक ट्रेसबिलिटी को लागू करने के लिए एक्सेस प्रोवाइडर्स की तकनीकी तत्परता और प्रेषक इकाइयों तथा टेलीमार्केटर्स को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर अपनी पूरी श्रृंखला को पंजीकृत करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में सूचित किया और इस प्रकार, एक्सेस प्रदाताओं को 01 नवंबर 2024 से लॉगर मोड में प्रिंसिपल एंटिटी-टेलीमार्केटर बाइंडिंग को लागू करने की अनुमति देने हेतु प्राधिकरण से अनुरोध किया गया, जिसमें एक्सेस प्रदाता हैश मिसमैच या चेन पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से ट्रैफ़िक को ब्लॉक नहीं करेंगे, तथापि, एक्सेस प्रदाता टेलीमार्केटर्स और प्रिंसिपल एंटिटीज को दैनिक रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वे सुधारात्मक उपाय कर सकें, और सीओएआई ने आगे प्राधिकरण से अनुरोध किया कि 01 दिसंबर 2024 से ब्लॉकिंग मोड को सक्षम किया जाए;

7. अब, इसलिए, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उठाए गए कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की समग्र समीक्षा करने पर, प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के प्रावधानों के तहत और दिनांक 20 अगस्त 2024 को जारी निर्देश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा सभी एक्सेस प्रदाताओं को निम्नलिखित हेतु यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया -

(क) यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रिंसिपल एंटिटीज (पीई) और टेलीमार्केटर्स (टीएम) संदेशों के प्रसारण में व्यवधान से बचने के लिए पीई-टीएम चेन बाइंडिंग को यथाशीघ्र पूरा करने;

(ख) पीई-टीएम चेन बाइंडिंग प्रक्रिया और इस संबंध में उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में प्रिंसिपल एंटिटीज और टेलीमार्केटर्स को सूचित, शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए वेबिनार, ईमेल और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने;

(ग) उन चूककर्ता प्रिंसिपल एंटिटीज और टेलीमार्केटर्स को दैनिक आधार पर चेतावनी जारी

करना जो अपेक्षित पीई-टीएम चेन बाइंडिंग को परिभाषित किए बिना या अपने सिस्टम को अपग्रेड किए बिना संदेश भेजना जारी रखते हैं, ताकि यथाशीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके, ऐसा न करने पर एक्सेस प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 30 नवंबर 2024 के बाद से इस तरह का कोई भी संदेश प्रसारित नहीं किया जाएगा;

(घ) दिनांक 30 नवंबर 2024 तक प्राधिकरण को चेन-बाइंडिंग प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले या अनुपालन करने में विफल रहने वाले संदेशों के संबंध में दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) उन संदेशों को 01 दिसंबर 2024 से अस्वीकार करें, जहां पूरी श्रृंखला परिभाषित नहीं है या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल नहीं खाती है।

8. सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करें तथा इस निर्देश के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कार्यविधि संहिता (सीओपी) को अद्यतन करने सहित की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।

ह/- **(28/10/2024)**

(जयपाल सिंह तोमर)

सलाहकार (क्यूओएस-II)

सेवा में

सभी एक्सेस प्रदाता

*****